समाधान प्रकोष्ठ

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने लोक शिकायतों **के निपटान के लिये** मुख्य सचिव कार्यालय में **"समाधान प्रकोष्ठ"** की स्थापना की है।

- इस पहल में प्रत्येक कार्य दिवस पर **ज़िला** एवं **उपमंडल स्तर के मुख्यालयों** पर **'समाधान शिविर'** सत्र आयोजित किये जाएंगे, जिसका लक्ष्य जन समस्याओं का प्रभावी समाधान करना होगा।

मुख्य बिंदु:

- लोक शिकायतों को **नीतिगत मुद्दों** और **कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं,** दो वर्गों में विभाजित किया गया है।
    - नीति-संबंधी मुद्दों का निपटान **राज्य मुख्यालय स्तर पर** प्रशासनिक सचिवों के समन्वय से **'प्रकोष्ठ'** द्वारा किया जाएगा।
    - **कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को** ज़िला स्तर पर **'समाधान शिविर' के माध्यम से हल किया जाएगा।**
- **उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, ज़िला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी** और अन्य संबंधित अधिकारियों सहित प्रमुख ज़िला अधिकारी लोक शिकायतों के समाधान के लिये उपायुक्त तथा SDO (नागरिक) कार्यालयों में प्रतिदिन मिलेंगे।
- लोक शिकायतों से संबंधित हरियाणा की योजना:
    - **CM विंडो-लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली।**
        - CM विंडो, एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली हरियाणा के सभी ज़िलों तथा सभी विभागों में एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप **25 दिसंबर 2014 से लागू** है
        - ये **शिकायतें CM विंडो काउंटर ऑनलाइन पर पंजीकृत हैं** और नागरिक शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ अपने मोबाइल फोन पर **SMS प्राप्त करते हैं**
        - शिकायतकर्त्ता द्वारा **ऑनलाइन शिकायत निवारण की निगरानी के लिये इस नंबर का उपयोग** किया जाता है। सामान्य नागरिकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिये सभी ज़िलों और उप-डिवीज़न कार्यालयों के ई-दिशा केंद्रों में CM विंडो लागू किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/samadhan-prakoshth